

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2020

विषय: प्रोजेक्ट स्टीमेट फार रिपेयर एण्ड रेनोवेशन आफ 79 बंधीज आफ ब्लॉक मौदहा, सुमेरपुर, मुस्करा आफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एण्ड आफ ब्लॉक कबरई आफ डिस्ट्रिक्ट महोबा की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-51/परि०/कैम्प/बजट, दिनांक 23.05.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोजेक्ट स्टीमेट फार रिपेयर एण्ड रेनोवेशन आफ 79 बंधीज आफ ब्लॉक मौदहा, सुमेरपुर, मुस्करा आफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एण्ड आफ ब्लॉक कबरई आफ डिस्ट्रिक्ट महोबा परियोजना की अनुमोदित लागत रु० 1826.12 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रु० 636.80 लाख में से रु० 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
- (3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जायेगी।
- (8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करायया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वाविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

- (10) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (11) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (12) उक्त धनराशि का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखा शीर्षक-4700-14-051-10-14-24 के नामे डाला जायेगा।
- 3- द्वितीय त्रैमास हेतु परियोजना पर रू0 200.00 लाख का आवंटन एवं साख सीमा निर्गत करने की स्वीकृति/सहमति प्रदान की जाती है।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-ई-8-1469/दस-2020, दिनांक 21 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
 - 3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 5- मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
 - 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
 - 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।